

# वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

## अनुमति-पत्र

सं. 310 / न० अ० वि०

दिनांक 25-2-76

### गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मालिकाना या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री उमकेश्वर नारायण सिंह

पिता/पति का नाम श्री श्री उमकेश्वर चन्द्र राय, श्री शैलेश चन्द्र राय  
 आराजी संख्या 55565/58 मंजूर दासी  
 वार्ड कजुवा में नक्शों में दर्शित स्थान पर जो प्राथम्य पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन  
 क्षेत्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



नगर अभियंता (भवन)  
 विकास क्षेत्र, वाराणसी  
 वाराणसी विकास प्राधिकरण  
 23/2/76  
 वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इनारत आज्ञानुमूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे रिसूबाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जाये। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से बरसल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बड़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, डोंप नये अथवा पुराने निर्माण को लाड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शों में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के आगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर \_\_\_\_\_ दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूलस के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो वह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं मना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

## शर्तें :-

1. भूखण्ड पर प्रति हे० 50 पेड़ की दर से कुल 27 पेड़ लगाना होगा।
2. पक्षगण को स्थल पर सोलर वाटर हीटर सिस्टम लगाना होगा।
3. पक्षगण द्वारा प्रस्तुत अग्निशमन एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी अनापत्ति पत्र में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
4. पक्षगण द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 17.02.16 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्षगण/आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
6. पक्षगण को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार स्थल पर करना होगा।
7. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलवा अपने भूखण्ड पर रखेगा।
8. पक्षगण को कूड़ा संचयन की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था करनी होगी।
9. पक्षगण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य कराना होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/स्ट्रक्चर इंजीनियर/आर्किटेक्ट की होगी।
10. भविष्य में यदि कोई देयता बनती है, तो पक्षगण द्वारा देय होगा।
11. बेसमेन्ट में वेंटीलेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होना मानचित्र में दर्शित है। इसको सुनिश्चित करना होगा तथा बेसमेन्ट जो बिल्डिंग लाईन से अधिक पर नहीं है उस स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।
12. कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग विजिटर पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास को उचित व्यवस्था की जायेगी।
13. भू-स्वामित्व एवं रास्ते सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में प्रस्तुत मानचित्र स्पष्ट अस्वीकार माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षगण की होगी।
14. पक्षगण को स्ट्रक्चर डिजाइन एवं आई0आई0टी0, द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार ही स्थल पर कार्य करना होगा।

M/S  
22/2/16  
दिनांक 22/2/16

क. नर. अ. म. क. ल. (भवन)  
विशाल अतिथिकरण, वाशिंगटन।